

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

—कार्यालय झाप—

अखिल भारतीय कर्मीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अधिकाता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आर्षदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व में संघाकित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता प्रति/क्षमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में द्वितीय पाली में डिप्लोमा इंजी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय संस्था का प्राकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गृहण विचार-विमर्श का निम्नवत् निर्णय लिया गया -

“ संलग्नक-3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित डिग्री स्तरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संचालित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

क्र. सं. संस्था संस्था का नाम पाठ्यक्रम का नाम ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0 आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता					
1	2260	बी0एल0 एल0एल0 2018 इली0-एल0 टेक्नी0(डी0एन0सी0टी0ई0) एन0एल0 24 कक्षा का पाठ्यक्रम संचालन।	मेकैनिक्ल इंजी0(डी0एल0) इलेक्ट्रॉनिक्ल इंजी0 सिविल इंजी0	120 60 60	120 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था (उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद वार्षिक-1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद धिन0एम0सी0 1982 तथा अन्य निर्धारित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रम हेतु ₹0 30,150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45,000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22,500,00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक सत्र/भास में प्राप्त किया जाएगा। उक्त शर्तों के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समन्वय-समय पर सल्लन द्वारा निर्णय किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है। ता फीस की नवीभारत ही लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उपस्था) प्राथमिक शिक्षा समितिओं तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बन्ध किया जाना। विनियमावली-2003 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों की रिक्त 24 जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को संस्था-संस्था पर निर्देश शासनवशात से अनुसूचित निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआई(सीईटीआई) से आगामी सत्र हेतु अनुसूचन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश कक्षाएं द्वारा बताए गए विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनवशात/निर्देशों एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उओए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उओए, द्वारा बताए गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विनियमों इन धारणीय पद्धतिका को सम्बन्ध यदि दो-तीनवर्षीय दिखती है अनुसूचन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विनियम का से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई पाद दापर किया जाता है तथा इसपर यदि वे संस्था में या त्यागदान द्वारा किसी प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिवृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विनियम इन धारणीय पद्धतिका सार्वजनिक करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इच्छित वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजितिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीठरी(आइए) से अनुसूचन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यनिर्माण के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शीत हेतु निर्गत सर्वोच्च आचरण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सफल सूचनाएं जैसे संस्था की एडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठभूमि, स्टाफ, साल-संख्या, लाकरन, फोन/विद्युत आदि जल्दी शुल्क, आचरण शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-व्यवस्था हेतु संपूर्ण आवश्यक उपलब्ध करने के साथ रैमिंग नकलने के सम्बन्ध में सफल आवश्यक जलवायु सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रत्यक्ष/सहायक पद्धतिका को धराए जाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराये गये अनिलेख, नुमि-संकेत, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य वादकारण के कारण से प्रयोग किया जाता है और परिवर्तन को इसकी जानकारी होती है कि संस्था वास्तविकता का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता सफल किया जाने को अनुसूचन की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किए जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुकारणालय कार्यवाही की जाएगी।

/

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, बीएनए, कारेलज आन इजीए-एनके, टेंकरी(सीएनएसीआईटी) एनएएन 24, बहाली का सादाब, लखनऊ।

/

(राजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

-कार्यालय धाप-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मेली कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश समता वृद्धि सहित अन्य मनों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-2 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा उक्त विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"मिजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश समता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक: 14-08-2020 को आरंभ सम्बद्धता समिति की बैठक में दिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निर्माकित सत्र के अर्धीन पाठ्यक्रम एवं उत्तम अंकित प्रवेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश संख्या
1	2280	मीटरस, कॉलेज ऑफ एंग्लो-इण्डियन एन्ड टेक्नोलॉजी, लखनऊ-24, बस्ती का नाम: लखनऊ।	इंजिन इंजी० इलेक्ट्रिशियन इंजी० मैथिमाटिक इंजी०	80 80 120	60 80 120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1982, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित विगमो एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीम वर्गीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्गीय कार्मेली पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्गीय पाठ्यक्रमों (दो वर्गीय कार्मेली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उक्त) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप-समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।



- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों में रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन में निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देश शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआईसीआईई/पीसीआईई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उओएओ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उओएओ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उओएओ द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ क्विंटोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पीसीआईई नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती हैं तो इस संस्था में समस्त उत्कृष्टाधिक संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद बाधर किया जाता है तथा बाधर वाद के संस्था में से न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ क्विंटोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनता अन्वेषण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएँ, कक्षा, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभिलेख हेतु उपयुक्त उपाकरण उपलब्ध कराने के साथ रैकिंग सीटों को सम्बद्ध में समस्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, सुवि-नयन, मानचित्र, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता संशय सिद्ध होने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने, कथित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद इन्फोसिस रोड, टैक्सोमी, गगनलोक-24 बज्जों का टाउन, लखनऊ।

(डा० आर०के० सिंह)
सचिव

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दानों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2260-B N COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY(BNCET), N.H. - 24, BAKSHI KA TALAAB, LUCKNOW

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
3	MECHANICAL ENGINEERING	120	120

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150 00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशासा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक B N COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY(BNCET), N.H. - 24,
BAKSHI KA TALAAB, LUCKNOW



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव